न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प सागर म०प्र०

R . 2680 - II/12

मागचंद राजपूत बल्द धनीराम राजपूत
निवासी- अतरार थाना पटेरा तहसील पलेरा जिला
टीकमगढ़ म०प्र०

--- पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

(1) रमेश बल्द बाबू वैश्य
(2) घनश्याम बल्द बाबू वैश्य
निवासी - ग्राम पलेरा तहसील पलेरा
जिला टीकमगढ़ म०प्र०

-- रेस्पाडेन्ट

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू० रा० संहिता 1959

पुनरीक्षण कर्ता पुनरीक्षण प्रस्तुत कर प्रार्थना करता है :-

पुनरीक्षण कर्ता यह पुनरीक्षण श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी जतारा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 113 बी/121/011-012 में पारित आदेश दिनांक 18-5-2012 से परिवेदित होकर सम्मानीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

(1):- यह कि सम्मानीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित ~~आदेश~~ आदेश विधि प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किया जाना न्यायहित में है ।

16/7/12

16 JUL 2012

श्री किशोर जैन अभि. द्वारा प्रस्तुत.
लिपिक
कार्यालय कमिश्नर, सागर सम्भाग, सागर (म. प्र.)

16
30/7/012

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—2680—दो / 2012 जिला—टीकमगढ़

भागचंद राजपूत विरूद्ध रमेश व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22—08—2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जतारा, जिला—टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 113 / बी—121 / 2011—12 में पारित आदेश दिनांक 18—05—2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 04—11—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	